

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-6बी/वि0-10105/2019 • 1443

पटना, दिनांक:- 18/7/26

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय: 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 में भूजल पुनर्भरण हेतु पायलट के तौर पर दक्षिण बिहार के चयनित 5 जिलों के कुल 5 पंचायतों में कुल 15 अदद रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण हेतु अनुमानित व्यय 13.57 लाख (तेरह लाख सत्तावन हजार) रु० मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश: 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 में भूजल पुनर्भरण हेतु पायलट के तौर पर दक्षिण बिहार के चयनित 5 जिलों के कुल 5 पंचायतों में कुल 15 अदद रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण हेतु अनुमानित व्यय 13.57 लाख (तेरह लाख सत्तावन हजार) रु० मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-4102528, दि०-20.05.2025 के आलोक में जल-जीवन-हरियाली अभियान का वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में होने वाले व्यय पर राज्य मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृति में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप अनियमित वर्षापात, भू-जल स्तर में गिरावट एवं पर्यावरण असंतुलन की चुनौती से निपटने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत दक्षिण बिहार के 14 जिलों के चयनित 1171 पंचायतों में कुल 3513 रिचार्ज शॉफ्ट के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। नयी प्रकृति का कार्य होने के कारण पायलट के तौर पर दक्षिण बिहार के चयनित 5 जिलों (बांका, गयाजी, जमुई, नवादा एवं भागलपुर) के प्रति जिला के एक पंचायत में 03 की दर से कुल 15 अदद रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण के संबंध में।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन बजट शीर्ष, मुख्य शीर्ष 4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 01-जलपूर्ति लघु शीर्ष 102 ग्रामीण जलपूर्ति उप शीर्ष 0124 अन्वेषण एवं सर्वेक्षण विपत्र कोड-36-4215011020124-विषय शीर्ष 0124-53-01-मुख्य निर्माण कार्य।

3. इस योजना की तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है तथा विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
4. अनियमित वर्षापात, भू-जल स्तर में गिरावट एवं पर्यावरण असंतुलन की चुनौती से निपटने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 13.57 लाख (तेरह लाख सत्तावन हजार) रु० की अनुशंसा की जाती है।
5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
6. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
7. इस योजना को दो माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

3M

8. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएंगे। भूगर्भीय जल स्तर एवं भूगर्भीय संरचना के आलोक में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नलकूपों के प्रकार में परिवर्तन, स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जा सकता है।
9. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) तथा क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे।
10. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
11. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
12. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
13. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
14. सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।
15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इस पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

344/17.09.2026

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

पटना, दिनांक-18.7.26

ज्ञापांक-6बी/वि0-10105/2019-1443

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (द0बि0)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (अनु0)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/कार्यवाहक सहायक-12/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

344/17.09.2026

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)